

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-7/2019/13/34/1990-का-1-2019

लखनऊ :: दिनांक 14 नवम्बर, 2019

**अधिसूचना**

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

**उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड  
(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019**

- संक्षिप्त नाम 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती और प्रारम्भ के लिये मानदण्ड (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 " कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 4 का 2- "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये प्रतिस्थापन मानदण्ड नियमावली, 1994" में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान नियम**

पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड

4- विभागाध्यक्ष के पदोन्नति पद पर, विभागाध्यक्ष से द्वारा भर्ती के लिये ठीक एक पंक्ति नीचे के मानदण्ड पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद पर जिनके वेतन बैण्ड-4 (रू0 37400-67000) और ग्रेड वेतन रू0 8700/-

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

4- विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद पर जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रू0 1,23,100-2,15,900) या इससे अधिक हो,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,  
मुकुल सिंहल  
अपर मुख्य सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7 /2019/13/34/1990-ka-1-2019 , dated: 14 November, 2019 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH  
PERSONNEL SECTION-1  
NOTIFICATION

-----  
Miscellaneous

No. 7 /2019/13/34/1990-ka-1-2019

Dated: Lucknow, 14 November, 2019

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 :

**THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CRITERION FOR  
RECRUITMENT BY PROMOTION (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2019**

**Short title and commencement** 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion (Fourth Amendment) Rules, 2019.  
(2) They shall come into force at once.

**Substitution of rule 4** 2. In the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, for existing rule 4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	<b>COLUMN-1</b> Existing rule	<b>COLUMN-2</b> Rule as hereby substituted
<b>Criterion for recruitment by promotion</b>	4. Recruitment by Promotion to the post of Head of Department, to a	<b>4.</b> Recruitment by Promotion to the post of head of Department, to a

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

post just rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the **Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) and Grade Pay Rs. 8700/-** or above shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-gazetted post to a gazetted post or from one service, to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

post just rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the **Pay Matrix Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)** or above shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-gazetted post to a gazetted post or from one service, to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

By order,  
**MUKUL SINGHAL**  
Additional Chief Secretary

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।